झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

विषय : झारखण्ड लोक सेवा आयोग, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग एवं राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य चयन प्राधिकार द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षाओं में झारखण्ड राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए न्यूनतम अर्हतांक 40 प्रतिशत निर्धारित करने संबंध में।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची के संकल्प संख्या–13026 दिनांक–27.11.2012 के द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग और झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य चयन प्राधिकार द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं का संचालन और अनुशंसा करने के प्रयोजनार्थ कतिपय बिन्दुओं पर मार्गदर्शन निरूपित किये गये हैं।

उक्त संकल्प की कंडिका–3(vi) में विभिन्न कोटियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक के अतिरिक्त विभागीय संकल्प संख्या–7358 दिनांक–12.09.2019 द्वारा आदिम जनजातियों हेतु न्यूनतम अर्हतांक 30 प्रतिशत समाविष्ट किया गया है:–

सामान्य वर्ग	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	36.5 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग एनेक्चर–1	34 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत
आदिम जनजाति	30 प्रतिशत

2. कार्मिक विभागीय संकल्प संख्या–1433 दिनांक–15.02.2019 द्वारा झारखण्ड सरकार की सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्तियों हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के आरक्षण से अनाच्छादित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से संबंधित व्यक्तियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ कतिपय शर्त्तों के अधीन अनुमान्य किया गया है।

3. अतः राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए न्यूनतम अर्हतांक 40 प्रतिशत के निर्धारण हेतु कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या–13026 दिनांक–27.11.2012 (यथा संशोधित) की कंडिका 3-vi की तालिका में निम्नवत् संशोधन करने का निर्णय लिया गया है:–

सामान्य वर्ग	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	36.5 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग एनेक्चर–1	34 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत
आदिम जनजाति	30 प्रतिशत
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	**40 प्रतिशत**

4. उक्त संकल्प की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

आदेशः आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(वंदना दादेल)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक–15/विविध–01–01/2020 का॰–................/राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक–15 / विविध–01–01 / 2020 का.–3928 / राँची, दिनांक 11.08.2020

प्रतिलिपि– सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची / सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

11.8.2020

सरकार के सचिव ।